रिकॉर्ड स्तर पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर तेजी देखी गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 50.36 करोड़ डॉलर बढ़कर 27,607 अरब रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 424.86 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।

आरबीआई के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टलिंर्ग, येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। इस अवधि में देश का स्वर्ण भंडार 13.07 करोड़ डॉलर घटकर 21.48 अरब डॉलर रहा, जो 1,397.4 अरब रुपये के बराबर है। इस दौरान देश के विशेष निकासी अधिकार का मूल्य 1 करोड़ डॉलर घटकर 1.5 करोड़ डॉलर हो गया, जो 99.7 अरब रुपये के बराबर है। आईएमएफ में देश के मौजूदा भंडार का मूल्य 1.34 करोड़ डॉलर घटकर 2.07 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 134.6 अरब रुपए के बराबर है।

कितना 'सहज' है आईटीआर, यूं समझें

वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, इसके लिए टैक्स छूट चाहिए तो निवेश कर लें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नए आय कर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म्स के बारे में अधिसूचित किया। इसमें कई नए बदलाव किये गये हैं, अब वेतनभोगी वर्ग के लोगों को उनके वेतन भत्ते (सैलरी ब्रेकअप) और व्यवसायियों को उनके जीएसटी नंबर और टर्नओवर की जानकारी देना अनिवार्य है।

जीएसटी के तहत टर्नओवर की देनी होगी जानकारी

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2018-19 के लिए, नए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर फॉर्म) व्यक्तिगत करदाता को अपने वेतन संरचना और संपत्ति से आय के बारे में विस्तार से जानकारी देने की जरूरत है। जबकि छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी के तहत दर्ज किये गये उनके सामान और सर्विस टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर और टर्नओवर की रिपोर्ट देना आवश्यक है।

वेतन के अलावा आमदनी का भी ब्योरा

नये आईटीआर फॉर्म में करदाता को वेतन के अलावा अलग से फॉर्म में उस आमदनी का भी ब्यौरा देने होगा जिनकी छूट नहीं है, जैसे दूसरी जगहों से प्राप्त आमदनी, अतिरिक्त सुविधाओं का मूल्य और सेक्शन 16 के तहत मिली कटौती के बारे में बताना होगा।

10 बिंदुओं में समझें सहज फॉर्म को

इन सभी बातों की जानकारी वेतनभोगी के फॉर्म 16 में मौजूद रहेंगी। एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने बताया कि इन सभी बातों का ब्यौरा देने से आईटीआर में स्पष्टता आएगी। यहां पर आपको आईटीआर के सहज फॉर्म के बारे में जानकारी देंगे।

- सहज या आईटीआर-1 क्या है आईटीआर-1 या सहज एक बेसिक फॉर्म है, जिसे वेतनभोगी वर्ग को भरना होगा।
- सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर-1 को उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जो सामान्य तौर पर भारतीय नागरिक है, जिसकी 50 लाख रुपये तक की आय है, जो वेतनभोगी है, जो प्रॉपर्टी से आमदनी कर रहा है और जो ब्याज से पैसे कमा रहा है।
- आईटीआर-2 में व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए व्यवसाय या पेशे के अलावा कहीं और से होने वाली आय भी तर्कसंगत है।
- व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार जिनके पास किसी व्यवसाय या पेशे से होनेवाली आय है, तो उन्हें संभावित आय के लिए आईटीआर-3 या आईटीआर-4 भरना होगा। आईटीआर-4 के अंतर्गत, जिनके पास व्यापार और पेशे से मिलने वाले आय हैं उन्हें जीएसटी पंजीकरण संख्या और उसके टर्नओवर को दिखाना होगा।
- अप्रवासी भारतीयों के लिये इस फॉर्म में कुछ राहत दी गई है। अब अप्रवासी भारतीय क्रेडिट या रिफंड के लिए अपने विदेशी बैंक खातों का विवरण दे सकते हैं। इससे पहले, वे केवल भारत में मौजूद अपने बैंक खातों का डिटेल दे सकते थे। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नए वित्त वर्ष से, अप्रवासी भारतीयों को आईटीआर-2 भरना होगा, जिसमें सहज की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी देनी होगी, सहज अब केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है।
- सीबीडीटी ने जानकारी दी है कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा के व्यक्तिगत करदाताओं या एक व्यक्ति या एचयूएफ जिसकी आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिसने रिफंड का दावा नहीं किया है, वे आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का यूज करते हुए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
- नोटबंदी के तुरंत बाद प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के बीच जमा नकदी का खुलासा जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार के अनुमानित कर-निर्धारण योजना के तहत भुगतान करने वाले लोगों को अपने त्रस्ञ्ज्ञढ्ढह्र और त्रस्ञ्ज के तहत दर्ज टर्नओवर का विवरण देना होगा, क्योंकि सरकार इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों को जोड़कर इन संस्थाओं के बीच कर चोरी की जांच करना चाहती है।
- क्लियरटैक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्चित गुप्ता ने कहा 'जो व्यवसायी और पेशेवर अनुमानित आय का दावा करते हैं उन्हें आईटीआर-4 फाइल करने के दौरान जीएसटीआईएन डालना होगा। उन्हें जीएसटी रिटर्न के अनुसार सकल आमदनी की जानकारी देनी होगी। ऐसा लगता है कि विभाग इन व्यवसायियों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने के लिए इस सूचना का उपयोग करने का इरादा रखती है÷।
- फर्म्स के पार्टनर्स को अब आईटीआर-2 के बजाय आईटीआर-3 फाइल करनी होगी।
- आईटीआर दाखिल करने के कुछ फायदें यह है कि यह बैंक कर्ज लेते समय मदद करता है और प्रक्रिया को आसान बनाता है। आईटीआर रसीदों को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आईटआर फाइल करने से कर विभाग के जुर्माने से भी बचा जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के मामले में आईटीआर दस्तावेज प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बना सकते हैं। यह वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया में भी मदद करता है।

आईटीआर फाइल के तरीके में नहीं हुआ बदलाव

कर विभाग की नीति-निर्माण संस्था ने कहा कि कुछ क्षेत्रों को नवीनतम तौर पर तर्कसंगत बनाया गया है और पिछले साल की तुलना में आईटीआर फाइल करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, 2017-18 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बीत चुकी है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, आखिरी तारीख 31 जुलाई है। नीचे हमने आईटीआर फाइल करने के लिए हुए नए बदलावों और महत्वपूर्ण गाइडलाइन्स के बारे में डिटेल लिस्ट दी है।

पुराने सिक्कों से करें फ्लॉवर पॉट की सजावट

हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। फ्लॉवर पॉट हमारे घर की सजावट का बहुत अहम हिस्सा होता है। वैसे तो मार्केट में आपको कई वेरायटी और डिजाइन के फ्लावर पॉट मिल जाएंगे। फ्लावर पॉट को घर में रखने से आपके घर को क्लासी लुक मिलता है। अगर आप भी कम पैसो में अपने घर को खूबसूरत तरीके से सजाना चाहते हैं तो आज हम आपको फ्लावर पॉट को सजाने के कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने घर में रखे पुराने सिक्कों के इस्तेमाल से फ्लावर पॉट को खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। आइए जानते हैं फ्लावर पॉट को सजाने का तरीके....

सामग्री

फ्लावर पॉट, पुराने सिक्के, ग्लू, रंग बिरंगे फ्लावर्स

बनाने का तरीका

- फ्लावर पॉट को सजाने के लिए सबसे पहले फ्लावर पॉट के चारों तरफ ग्लू लगा कर पुराने सिक्कों को एक एक करके चिपकाएं। अब इसे थोड़ी देर के लिए सूखने दें।
- जब यह सूख जाए तो इनमें रंग बिरंगे फूल डालकर सेंटर पीस डेकोरेशन के लिए रखें टेबल पर रखें।
- इस सिक्कों से सजे फ्लावर पॉट को रखने से आपके घर को क्लासी लुक मिलेगा।

स्टार्टअप इंडियाः 3 साल की आमदनी-मुनाफे पर टैक्स में मिलेगी छूट

सरकार ने नए प्रोडक्ट्स और उद्यमी तैयार करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट अप इंडिया की शुरूआत की थी। सरकार का यह उपाय विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा करने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें-

इस पहल के अंतर्गत औद्योगिकी नीति और संवर्द्धन विभाग ने व्यापक आधार वाले मंत्रिस्तरीय बोर्ड का गठन करते हुए 11 अप्रैल, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 364 (ई) जारी की है ताकि आयकर 1961 के निम्नलिखित प्रोत्साहनों के दावों के लिए स्टार्ट अप के आवेदनों पर विचार किया जा सके।

कानून के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत पात्र स्टार्टप द्वारा प्राप्त शेयर प्रीमियम पर आयकर लेवी से छूट दी जा सके। कानून के 80 द्धष्ट के अंतर्गत कर निर्धारण के लगातार 7 वर्षों में से 3 वर्ष के लिए स्टार्टअप की आमदनी से प्राप्त लाभ और प्राप्ति में शत-प्रतिशत कटौती।

स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यावसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।

कानून के अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 80 द्धष्ट के अंतर्गत स्टार्ट अप के प्रमाणीकरण के आवेदनों को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिये डीआईपीपी में जमा किया जाएगा। प्रमाणीकरण के लिए इन आवेदनों पर आईएमबी द्वारा विचार किया जाएगा।

कानून के अनुच्छेद 56 के प्रयोजन के लिए निवेशकों के वर्ग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पात्र स्टार्टअप शेयर पूंजी के लाभ के बदले किसी भी व्यक्ति से पूंजी निवेश प्राप्त कर सकता है।

देश में स्टार्ट अप तंत्र को सरल बनाने के सरकार के लगातार जारी प्रयास के रूप में डीआईपीपी सरकारी मंत्रालयों/विभागों, नियामकों, नये निवेशकों और स्टार्ट अप सहित साझेदारों के साथ नियमित सलाह-मशविरा कर रहा है। इस अधिसूचना के जरिये लागू संशोधनों का उद्देश्य आयकर कानून 1961 के अंतर्गत छूट के सम्बन्ध में स्टार्ट अप की प्रमुख मांग को पूरा करना है।

इस अधिसूचना के जरिये संशोधनों को पेश किए जाने के साथ, स्टार्टअप की निधियन तक आसान पहुंच हो सकेगी जिससे नये व्यवसाय करने में आसानी होगी, स्टार्ट अप तंत्र को बढ़ावा मिलेगा,उद्यमी प्रोत्साहित होंगे। इसके परिणामस्वरूप अधिक नौकरियां पैदा होंगी और देश का आर्थिक विकास होगा।

भारत में बिटकॉइन की सबसे बड़ी चोरी

क्रिप्टोकरेंसी यानि की बिटकॉइन जो कि भारतीय बाजार में धूम मचा रही है कि हाल ही में सबसे बड़ी चोरी हुई है। बिटकॉइन के एक बड़े एक्सचेंज से 438 बिटकॉइन चोरी हो गए हैं। इनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। ये देश में क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। दिल्ली स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने सायबर सेल में शिकायत दर्ज करायी है कि उसके सीएसओ अमिताभ सक्सेना ने कंपनी के वॉलेट से ये चोरी की है।

एक्सचेंज कंपनी ने सरकार से मांग की है कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। कंपनी को यह डर है कि वह देश से बाहर भाग सकता है।

मामला दर्ज

साइबर सेल ने आईपीसी की धारा और आईटी सेक्टर एक्ट के सेक्शन 66 के तहत यह मामला दर्ज किया है। इस एक्सचेंज के पूरे देश में करीब 2 लाख यूजर्स हैं। एक्सचेंज को यह पता चला है कि कंपनी का पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो गया है। इस कारण सिस्टम हैक हो गया। कंपनी ने हैकर्स को ट्रैक करने की कोशिश की लेकिन डाटा लॉग डिलीट कर दिए गए थे। इससे ये पता नहीं चल सका कि बिटकॉइन कहां ट्रांसफर किए गए। इसके बाद कंपनी की वेबसाइट बंद है। कंपनी ने इस बात की पुष्टि वेबसाइट पर संदेश भेज कर दी। कंपनी का कहना है कि आरोपी कंपनी के ही अंदर का व्यक्ति है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं दी है।

सदस्यता कूपन

अवधि	अंक	सदस्यता शुल्क
1 साल	24	280 रुपए
2 साल	48	500 रुपए

नाम ..... पता

.....

..... पिन

..... फोन.....

ड्राफ्ट/चैक का विवरण .....

.....

भुगतान 'कॉरपोरेट पोस्ट' जयपुर के पक्ष में देय चैक अथवा ड्राफ्ट द्वारा निम्न पते पर भेजें अथवा संपर्क करें:

डी-9, नारायण विहार, 200 फुट बाइपास, जयपुर, मो. 9314885811, 9314724216

नोटः 4 सैंपल प्रतियों के लिए यही कूपन काट कर भेज सकते हैं। - साधारण डाक द्वारा डिलीवरी में अनियमितता होने पर कॉरपोरेट पोस्ट प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

इन यूनिक तरीकों से सजाएं Birdcage, घर भी लगेगा सुंदर

घर तभी खूबसूरत लगता है, जब उसे खास तरीके से सजाया हो। आजकल यूनिक तरीके से घर सजाने के लिए लोग तरह-तरह तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसी में से एक है बर्डकेज से सजावट। आज के समय में घर सजाने के लिए बर्डकेज लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। बेशक लोग उसमें बर्ड्स को न रखें लेकिन इससे घर की सजावट जरूर करते हैं। लोग इनमें बर्ड्स न रखकर इसे घर सजावट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं आप किस तरह बर्डकेज को अपने घर की डेकोरेशन का खास हिस्सा बना सकते हैं।

फूलों से करें सजावट

फूलों से सजे बर्डकेज आपके घर को आकर्षक दिखने में मदद करते हैं। आप इसे अंदर से ही नहीं बल्कि, बाहर से फूलों से सजा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सजाने के लिए इसके चारों तरफ माला भी लपेट सकते हैं।

कैंडल्स का इस्तेमाल

आप अपने बर्डकेज को घर के किसी कोने में रखकर उसमें कैंडल्स भी लगा सकती हैं। किसी पार्टी के लिए आप इसमें कैंडल्स लगाकर इसे लैन्टर्स की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।

टेबल डेकोरेशन

इससे ड्राइंग रूम की खूबसूरती भी बढ़ा सकती है। अपनी बर्डकेज को टेबल की सजावट के लिए इस्तेमाल करें। बर्डकेज से घर की सजावट करने के लिए यह आइडिया सबसे अलग है।

मिनी गार्डन

आप अपने बर्डकेज में छोटा-सा गार्डन बनाकर उसे बाहर या अंदर लगा सकते हैं। आप इसे अंदर एक गमला या छोटे-छोटे सक्युलेंट्स पौधे लगाकर टांग दें। यह हैंगिग बर्डकेज गार्डन आपकी घर की शोभा को दोगुणा कर देगा।

मौसमी चीजें

आप इसे मौसम या फेस्टीवल के हिसाब से भी डैकोरेट कर सकती हैं। आप इसके अंदर हर महीने एक नई चीज रखकर अपने घर को अलग-अलग थीम्स से सजा सकती हैं।

फोटो से करें सजावट

आप बर्डकेज का इस्तेमाल फोटो फ्रेम की तरह कर सकते हैं। बर्डकेज में अपनी फोटो लगाकर उसे दीवार या टेबल पर लगा दें।

वाल डेकोरेशन

आप अपने बर्डकेज से वाल डेकोरेशन भी कर सकती हैं। इसे आप हैंगिग बर्डकेड या किसी ओर तरह से वॉल पर लगाकर आप घर की रौनक बढ़ा सकते हैं।